

Name of the deceased Insured Person\_\_\_

## **CLAIM FORM FOR DEPENDANT'S BENEFIT EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**

REG. FORM -15

\_\_\_Ins. No.\_\_

(Regulation 80)

S/W/D of	//D ofDate of Death									
Last employed as			by							
I/We the following accordingly apply for						son, hereby claim and				
Name of the dependant	Sex	Age or year of birth	Marital status	Relationshi with the deceased	Address	Name of guardian in case of a minor				
1	2	3	4	5	6	7				
	1				_					
						+				
	declare that to the best of my/our knowledge & belief, there is no other dependant entitled to claim efit in r/o the death of the above-noted deceased I.P., save and except those mentioned above.  Signature*  1 2 3 4									
			ATTE	STATION**						
Certified that the decl	larations, a	as made a	bove are tr	ue to the best o	f my knowledge and	belief.				
		Rubb	e in Block le er Stamp o Attesting A	r Seal of	Signature  Designation					
		1110	/ titootii ig / i	attionty	Designation					
All major dependa	ants' shou	ıld sign ind	dividually a	ınd the guardia	an to sign in case of a	a minor dependant.				
* This cortificate is	to bo giv	(on by (i)	an officer	of the Poyon	uo Iudioial or Mac	gisterial Department o				
						ommissioner; or (iv) th				
						/M D : or (vi) Corotto				

IMPORTANT: Any person who makes a false statement or representation for the purpose of obtaining benefit, whether for himself or some other person, commits an offence punishable with imprisionment for a term which may extend up to six months or with a fine up to Rs. 2,000/or with both

Head of the gram Panchayat under the official seal of the panchayat, or (v) M.L.A./M.P.; or (vi) Gazetted Officer or (vii) a member of the Local committee/Regional Board of the ESI Corporation, or vii) any other authority considered appropriate by the Branch Manager

विनि. प्ररूप-15

## आश्रित प्रसुविधा के लिए दावा प्ररूप कर्मचारी राज्य बीमा निगम

SASII SOCILI			(ाव	ानयम 80)		
मृतक बीमाकृत व्यक्ति क	ा नाम	•••••	•••••		बीमा संख्य	Т
पुत्र⁄पत्नी∕पुत्री	•••••	•••••		मृख	यु की तारीख	
मैसर्स		•••••	•••••	द्वारा	के रूप	में अंतिम बार नियोजित।
मैं⁄हम जो उपर्युक्त	मृत बीमा	कृत व्यक्ति	का/के आर्थि	थत हूं⁄है, उसकी मृत्यु	ुकी बाबत आश्रित	प्रसुविधा के लिए दावा
करता हूं∕करते हैं।						
आश्रित का नाम	लिंग	आयु या जन्म का वर्ष	वैवाहिक प्रास्थिति	मृतक के साथ नातेदारी	वर्तमान पता	अवयस्क की दशा में संरक्षक का नाम
1	2	3	4	5	6	7
मैं∕हम घोषणा कर	ता हूँ/करते	हैं कि उपय	क्त वर्णित मे	री∕हमारी सर्वोत्तम जान	कारी और विश्वास के	उ अनुसार सही हैं।
	_		•			वेश्वास के अनुसार उपर्युक्त
वर्णित आश्रितजनों को छोड़ नहीं है।	कर उपर्युक्त	मृत बीमाकृत	ा व्यक्ति की मृ	ाृत्यु पर आश्रितजन हितर	ताभ का दावा करने के ि	लेए कोई अन्य आश्रितजन
नहा ह ।					<b>c</b> 1	
				हस्ता	क्षर <sup>*</sup>	
					3	
					4	
	_		•	<u>प्रमाणन**</u>		
प्रमाणित किया जाता है वि	h ऊपर की	गई घोषणा	एं मेरी सर्वोत्त	म जानकारी और विश्व	ग्रास के अनुसार सही है	<del>\$</del>
		अनुप्र	माणन प्राधिव साफ अक्षरों	नारी का हस्त	गक्षर	
			साफ अक्षरा इ की मोहर य		नाम	
सभी व्यस्क आश्रितजनों	ं को व्यक्ति	गत रूप से ह	स्ताक्षर करने	चाहिए और अवयस्क	आश्रितजन के मामले	में संरक्षक के हस्ताक्षर होने

कोई व्यक्ति, चाहे अपने लिए या अन्य व्यक्ति के लिए, प्रसुविधा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से मिथ्या कथन या महत्वपूर्ण: मिथ्या व्यपदेशन करेगा अपने को अभियोजन के लिए जिम्मेदार ठहरायेगा अर्थात 2000/- रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने तक का कारावास या दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं।

<sup>\*\*</sup> यह प्रमाण-पत्र (1) सरकार के राजस्व, न्यायिक या मजिस्ट्रेट विभाग के किसी अधिकारी या (2) नगर पालिका आयुक्त; या (3) कर्मकार प्रतिकर आयुक्त; या (4) ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा पंचायत की शासकीय मुद्रा लगा करके या (5) विधायक /सांसद या (6) राजपत्रित अधिकारी या (७) क.रा.बी. निगम के क्षेत्रीय समिति रस्थानीय समिति के सदस्य या (८) संबंधित शाखा प्रबंधक द्वारा अनुमोदित कोई अन्य उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।